भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भूमि प्रबंधन निदेशालय

सं. एवी.21012/24/2020-LM- खंड-II 158-162 दिनांक: 26 जून, 2025
कंप्यूटर संख्या 271547

भूमि प्रबंधन परिपत्र संख्या - 36

विषय: - **अतिक्रमण हटाने के लिए दिशानिर्देश/रणनीति के संबंध में।**

अतिक्रमण हटाने के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक से अनुरोध है कि वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि से अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (संशोधित) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

2. अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

i) धारा 28ए से 28आर: जो भा.वि.प्रा को अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देती है।

ii) सुनिश्चित करें कि अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से उचित नोटिस, दस्तावेजीकरण और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए।

iii) जहां भी आवश्यक हो, बेदखली की कार्यवाही के सुचारू निष्पादन के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखें।

iv) सभी भा.वि.प्रा हवाई अड्डों पर रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें और अतिक्रमण-मुक्त भूमि की स्थिति सुनिश्चित करें।

3. आगे यह भी कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक सुनियोजित, बहु-विषयक रणनीति की आवश्यकता है जो कानूनी अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई और हितधारक प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखे। उचित स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है: -

26/6/2025
GM (LM)
ED(LM) - AAI [illegible]

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawan
सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003
Safdarjung Airport, New Delhi-110003
दूरभाष : 24632950
Phone : 24632950

क) <u>भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन</u>

i आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके विस्तृत सर्वेक्षण करें।

ii भौतिक चिह्नों और अद्यतन अभिलेखों के साथ हवाई अड्डे की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करें।

iii अतिक्रमण विवरण के साथ एक व्यापक भूमि स्वामित्व रिपोर्ट तैयार करें।

ख) <u>कानूनी तैयारी</u>

i राजस्व और भा.वि.प्रा रिकॉर्ड के माध्यम से भूमि स्वामित्व को सत्यापित करें।

ii अतिक्रमणकारियों (आवासीय / वाणिज्यिक / संस्थागत) की पहचान करें।

iii प्रासंगिक कानूनों (भा.वि.प्रा अधिनियम) के तहत नोटिस जारी करें।

iv मुकदमेबाजी के लिए तैयार रहें। स्थगन आदेशों की प्रत्याशा करें और कानूनी जवाबी रणनीति तैयार करें।

ग) <u>हितधारक समन्वय</u>

i स्थानीय प्रशासन (राजस्व/पुलिस/नगर निकाय) को शामिल करना।

ii यदि अतिक्रमण से हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रभावित होती है तो सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

घ) <u>सार्वजनिक संचार</u>

i सुरक्षा, वैधता, परिणामों पर जागरूकता अभियान चलाएं।

ii जबरन बेदखली से पहले स्वैच्छिक निष्कासन के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें।

ङ) <u>प्रवर्तन कार्रवाई</u>

i संयुक्त टीमें (पुलिस, भा.वि.प्रा, नगर निगम कर्मचारी) तैनात करें

ii कानूनी सुरक्षा के लिए प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें (वीडियो / फोटोग्राफी)।

iii अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करें और हटाने के बाद भूमि को सुरक्षित करें।

iv पुनः दावा की गई भूमि पर बाड़ लगाएं और पुनः अतिक्रमण को रोकने के लिए निगरानी सुनिश्चित करें।

26/6/2026
EDWMS - Addl. charge

च) **<u>अतिक्रमण के बाद के उपाय</u>**

i स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण (चारदीवारी, सड़क, वॉच टावर)।

ii भूमि निगरानी प्रणाली बनाए रखें।

iii नए अतिक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए नियमित ऑडिट।

4. सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक को अतिक्रमण के विरुद्ध सक्रिय एवं समयबद्ध कार्रवाई करेंगे तथा नियमित अंतराल पर निगमित मुख्यालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

26/1/2025

(वी. रामनाथन)
महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन)
अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक (भूमि प्रबंधन/व्यापार प्रकोष्ठ)

सभी क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / विमानपत्तन निदेशक

प्रतिलिपि: -

1. अध्यक्ष सचिवालय
2. सदस्य (योजना)
3. महाप्रबंधक (भू.प्र.) - II
4. महाप्रबंधक (आईटी)- भा.वि.प्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु